क्रमांक 4112275 / 03 / छ.ग. / 2018 / 2045

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 18 / 02 / 2019

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
MIS Cell,
स्टेट डाटा सेन्टर,
सिहावा भवन,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण आदेश की प्रति को वेब साईट (Web Site) में अपलोड किये जाने बाबत्।

संदर्भ :– अधीक्षण अभियंता (बोधी) के पत्र क्र. 581 / बो.प्र. / नि.स. / 2013 / 1920 दिनांक 15.02.2019

------00------

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। कृपया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर इस प्रकोष्ठ को अवगत करावें।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।
(24 पृष्ठ)

18.2.19

(सजल कुमार विश्वकर्मा)
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 4112275 / 03 / छ.ग. / 2018 /

रायपुर, दिनांक / 02 / 2019

प्रतिलिपि :–

अधीक्षण अभियंता (बोधी) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, डाटा सेंटर, सिहावा भवन परिसर, रायपुर को संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ।

सहपत्र :– शून्य।

(सजल कुमार विश्वकर्मा)
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 581/बो.प्र./नि.स./2013/ 1920
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 15/02/2019

प्रति,

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
रायपुर (छ.ग.)

विषयः— **प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण आदेश की प्रति को वेब साइट (Web site) में अपलोड किये जाने बाबत्।**

——00——

विषयांतर्गत लेख है कि प्रथम अपील प्रकरणों वर्षान्त 2018 (छायाप्रति संलग्न) के निराकरण आदेश की प्रति को सूचना के अधिकार "वेब साइट" में अपलोड किये जाने की कार्यवाही कराते हुए इस प्रकोष्ठ को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :— उपरोक्तानुसार
(23 पृष्ठ)

अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ. क्र. 581/बो.प्र./नि.स./2013/
प्रतिलिपि :—

रायपुर, दिनांक 14/02/2019

कार्यपालन अभियंता (MIS Cell) स्टेट डाटा सेन्टर, रायपुर को सूचनार्थ ~~एवं~~ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हस्ता/-
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

सम्बन्धित नस्ती (वार्षिक प्रति 2018) के साथ प्रस्तुत करें।
15/2/19

D:\Suchna ka Adhikar 2005.docx

अपीलार्थी द्वारा
श्रमण-संदेश

क्रमांक 135/बो.प्र./नि.स./2018/ 7582
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 03/05/2018

अपीलार्थी
श्री जसराजप्रीत सिंह बल,
अधिवक्ता
पता:— 616—617, टाटीबंध,
रायपुर (छ.ग.)

— विरुद्ध —

प्रतिअपीलार्थी
श्री एस.के. विश्वकर्मा
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

1. श्री जसराजप्रीतसिंह बल (अधिवक्ता), टाटीबंध, रायपुर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उनके आवेदन पत्र दिनांक 09.08.2018 के द्वारा मांगी गई दो बिन्दुओं की जानकारी समय—सीमा में प्रदाय नहीं किए जाने से व्यथित होकर यह प्रथम अपील आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के अवलोकन एवं अध्ययन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा जल संसाधन विभाग के अधीन वर्ष 2003 से 2017 तक कुल कितने एनीकट का निर्माण स्वयं एवं टेंडर के माध्यम से करवाएं हैं, उनकी निर्माण स्थल का पता, निर्माण चालू होने तथा पूर्ण होने की तारीख एवं लागत रकम की सूची की सत्यापित प्रति तथा 2003 से 2017 तक क्षतिग्रस्त हुए (एनीकट की सूची एनीकट स्थल एवं क्षतिग्रस्त घोषित दिनांक सहित) एवं क्षतिग्रस्त एनीकट की निर्माण लागत राशि की प्रमाणित सत्यप्रति की मांग की गई थी। प्रकरण का अवलोकन पश्चात् उभयपक्षों को सुनवाई हेतु दिनांक 27.04.2018 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने के आदेश क्र. 6764, दि. 20.04.2018 द्वारा जारी किया गया। जिसके पालन में उभय पक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। प्रकरण को सुनवाई की गई।

3. जनसूचना अधिकारी श्री एस.के. विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा मांगे गये दोनों बिन्दुओं की जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जानकारी अधीनस्थ मुख्य अभियंता कार्यालय से प्राप्त हो सकती है। अतः अपीलार्थी को अन्य सभी प्राधिकारियों के पास पृथक—पृथक आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र क्र. 4338, दिनांक 13.03.2018 द्वारा सूचना दी गई है। जो नियमानुसार उचित कार्यवाही है।

4. अपीलार्थी श्री जसराजप्रीत सिंह बल द्वारा प्रकरण के प्रत्युत्तर में लिखित रूप में पक्ष रखा है कि प्रमुख अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग का विभागाध्यक्ष कार्यालय होने के कारण संबंधित सभी जानकारी इस कार्यालय में संधारित होना चाहिए। विभाग द्वारा जानकारी नहीं होने का बहाना बनाकर अपीलार्थी को गुमराह कर जानकारी नहीं दिया जा रहा है। उन्हें दी जाने वाली जानकारी को बिलासपुर हाई कोर्ट में पेश किया जाना है। अतः उन्हें जानकारी तत्काल समय—सीमा दिलवाया जावे।

5. प्रकरण के अध्ययन, अवलोकन एवं उभय पक्षों को सुनने पश्ताच् यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई दोनों बिन्दुओं की जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जानकारी अधीनस्थ मुख्य अभियंता कार्यालय में उपलब्ध हो सकती है।

साथ ही जनसूचना अधिकारी द्वारा उद्योगवार एवं उन पर बकाया राशि की 2013 के पूर्व के हिसाब की जानकारी भी जनसूचना अधिकारी को नहीं दी है तथा जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय में है अथवा नहीं अथवा प्रमुख अभियंता कार्यालय में नहीं है तो किस प्राधिकारी के पास उपलब्ध होना चाहिए, की स्पष्ट जानकारी संबंधित सेक्शन इंचार्ज से लिखित प्राप्त कर अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है। यदि जानकारी उपलब्ध नहीं है तो अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से अवगत करावें।

6. अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी पैरा (5) के अनुसार सेक्शन इन्चार्ज से लिखित जानकारी प्राप्त कर अपीलार्थी को जानकारी तत्काल प्रदाय करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को सूचित करें।

सहपत्र :– शून्य

(बी.आर. लाड़िया)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ.क्र. 136/बो.प्र./नि.स./2018 7585 रायपुर, दिनांक 03/05/2018

प्रतिलिपि :–

1. श्री एस.के. विश्वकर्मा, जन सूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
2. श्री जसराजप्रीत सिंह बल, अधिवक्ता पताः– 616–617, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

सहपत्र :– 1. स.क्र. 1 के लिए श्री जसराजप्रीत सिंह बल, अधिवक्ता की लिखित प्रत्युत्तर की फोटोप्रति।
2. स.क्र. 2 पंजीकृत डाक से।

(बी.आर. लाड़िया)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

नोट :– द्वितीय अपील–आयुक्त राज्य सूचना आयोग इन्द्रावती (प्रथम खण्ड) शास्त्री चौक, बंजारी बाबा के मजार के पास, रायपुर।